



“MAA”Omwati Global Sr. Sec. School

VPO-Hassanpur Distt. Palwal (HR.) 121107

(CBSE Affiliation No. 531377) CBSE School Code: 41353

DSE School Code:24171 & UDISE Code: 06210200118

E-mail: Principal.school@maaomwati.com & 41353@cbseshiksha.in

Website: www.maaomwati.com, Mob: 9050654630/9050654661

Ref. No.

Date 02-APRIL-2026

कार्यालय आदेश – शून्य सहनशीलता नीति

विषय: विद्यार्थियों के प्रति शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार अथवा अनुचित आचरण के संबंध में शून्य सहनशीलता

यह निर्देशित किया जाता है कि माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हसनपुर में या उसके लिए कार्यरत सभी कर्मचारी, जिनमें शिक्षण कर्मचारी, गैर-शिक्षण कर्मचारी, सहायक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, चालक, परिचारक तथा संविदात्मक/आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति अनुशासन, गरिमा, सुरक्षा और सम्मानजनक आचरण के उचित मानकों को बनाए रखेंगे।

शून्य सहनशीलता

विद्यालय ऐसे किसी भी आचरण की अनुमति नहीं देता और न ही उसका समर्थन करता है, जो विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा या कल्याण के विपरीत हो। अतः कोई भी कर्मचारी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

1. किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड देना, मारना, थप्पड़ मारना, धक्का देना, खींचना, झकझोरना या उसके विरुद्ध किसी अन्य प्रकार के शारीरिक बल का प्रयोग करना, सिवाय ऐसी स्थिति के जब आसन्न हानि को रोकने के लिए कानूनन अनुमत और युक्तिसंगत रूप से ऐसा करना आवश्यक हो।
2. किसी विद्यार्थी को मानसिक उत्पीड़न, अपमान, भयभीत करना, धमकी देना, डराना-धमकाना या दुर्व्यवहार का सामना कराना।
3. किसी विद्यार्थी के प्रति अपमानजनक, humiliating, धमकीपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण या अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
4. शारीरिक दंड या अपमानजनक अनुशासनात्मक पद्धति का किसी भी रूप में प्रयोग करना।
5. ऐसा कोई आचरण करना जिससे विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षति हो या युक्तिसंगत रूप से ऐसी क्षति होने की संभावना हो।
6. ऐसा कोई अन्य आचरण करना जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा या कल्याण प्रभावित हो या युक्तिसंगत रूप से प्रभावित होने की संभावना हो।

जवाबदेही और उचित प्रक्रिया

इस आदेश के विपरीत किसी भी आचरण के संबंध में प्राप्त शिकायत या सूचना को गंभीरता से लिया जाएगा तथा विद्यालय की लागू नीतियों, सेवा नियमों, संविदात्मक शर्तों और लागू कानून के अनुसार उसकी समीक्षा या जांच की जा सकती है।

m

①

उचित समीक्षा या जांच के पश्चात यदि किसी कर्मचारी को निषिद्ध आचरण में संलिप्त पाया जाता है, तो विद्यालय लागू सेवा नियमों, संविदात्मक शर्तों, निष्पक्षता के सिद्धांतों और कानून के अनुसार उचित अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है। ऐसी कार्रवाई में, जहां कानूनन अनुमत हो और परिस्थितियों के अनुसार उचित हो, परामर्श, चेतावनी, निलंबन, स्थानांतरण, ड्यूटी से हटाना, सेवा/संविदा समाप्त करना या कोई अन्य वैध उपाय शामिल हो सकता है। कोई निश्चित परिणाम पहले से निर्धारित नहीं है और प्रत्येक कार्रवाई तथ्यों तथा लागू आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

जहां लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक हो या उचित समझा जाए, वहां मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को भी दी जा सकती है।

अनुशासनात्मक, सुधारात्मक, शिक्षण-संबंधी या किसी अन्य उद्देश्य को इस आदेश या लागू कानून द्वारा निषिद्ध आचरण का औचित्य नहीं माना जाएगा।

सूचना देने का दायित्व

कोई भी कर्मचारी यदि किसी विद्यार्थी के प्रति शारीरिक दंड, उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या अन्य अनुचित आचरण की घटना से अवगत होता है, उसे देखता है या उसके संबंध में युक्तिसंगत संदेह होता है, तो वह उपलब्ध सूचना-प्रणाली के माध्यम से मामले की सूचना प्रधानाचार्य या विद्यालय प्रबंधन को शीघ्र देगा।

प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं पर लागू नीतियों और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी तथा विद्यार्थी की सुरक्षा, गोपनीयता, निष्पक्षता और सभी संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसका क्रियान्वयन लागू सेवा नियमों, संविदात्मक शर्तों, विद्यालय की नीतियों और कानून के अनुसार किया जाएगा।

विद्यालय प्रबंधन के आदेश से

प्रधानाचार्य

माँ ओमवती ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल

हसनपुर

दिनांक: ____

विद्यालय की मुहर


PRINCIPAL
MAA OMWATI GLOBAL
SR. SEC. SCHOOL
HASSANPUR (PALWAL)

Get signatures of all staff also